



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51303-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 1576/2025

बृजेश खरे

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित कुमार पांडे, प्रदीप कुमार तिवारी, राज कुमार धमा,

रितेश राय, शांतनु

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, नमित श्रीवास्तव, साहब तिवारी,

सुरभि चंद्र, पारुल श्रीवास्तव

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हैं।
2. अतः याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(क्षितिज शैलेन्द्र, जे) (अरुण भंसाली, सी.जे.)

13 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।